

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय

(दिसम्बर, 2020 सत्र)

(28 से 30 दिसम्बर, 2020 तक)

प्रश्नोत्तरों के लिये विभागों के वर्ग, प्रत्येक विभाग के लिए प्रभारी मंत्री, उत्तरों के लिए निश्चित दिनांक तथा उस दिनांक के लिए प्रश्नों के उत्तर प्राप्त होने का अंतिम दिनांक दर्शाने वाला विवरण

विभाग का नाम (1)	प्रभारी मंत्री (2)	उत्तरों (सदन की बैठक) के लिए निश्चित दिनांक (3)	प्रश्नों के उत्तर प्राप्त होने का अंतिम दिनांक (4)
वर्ग-1			
गृह	गृह मंत्री		
जल	—“—		
संसदीय कार्य	—“—		
विधि और विधायी कार्य	—“—		
किसान कल्याण तथा कृषि विकास	किसान कल्याण मंत्री		
खेल और युवा कल्याण	खेल और युवा कल्याण मंत्री		
तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार	—“—		
नगरीय विकास एवं आवास	नगरीय विकास एवं आवास मंत्री		
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन	औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री	28 दिसम्बर, 2020	21 दिसम्बर, 2020
पंचायत एवं ग्रामीण विकास	पंचायत मंत्री		
पर्यटन	पर्यटन मंत्री		
संस्कृति	—“—		
अध्यात्म	—“—		
पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण	राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण		
विमुक्त घुमकड़ एवं अर्द्ध घुमकड़ जनजातीय कल्याण	—“—		
उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण	राज्य मंत्री, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण		

(1)	(2)	(3)	(4)
वर्ग-2			
सामान्य प्रशासन	मुख्यमंत्री		
जनसम्पर्क	____"		
नर्मदा धाटी विकास	____"		
विमानन	____"		
अप्रवासी भारतीय	____"		
जल संसाधन	____"		
मधुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास	____"		
राजस्व	____"		
परिवहन	____"		
वित्त	वित्त मंत्री		
वाणिज्यिक कर	____"	29 दिसम्बर, 2020	22 दिसम्बर, 2020
योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी	____"		
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण	खाद्य मंत्री		
सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम	सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री		
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	____"		
महिला एवं बाल विकास	महिला एवं बाल विकास मंत्री		
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री		
पशुपालन	पशुपालन मंत्री		
सामाजिक न्याय एवं निःशक्त जन कल्याण	____"		
उच्च शिक्षा	उच्च शिक्षा मंत्री		
सहकारिता	सहकारिता मंत्री		
लोक सेवा प्रबंधन	____"		

(1)

(2)

(3)

(4)

वर्ग-3

लोक निर्माण

लोक निर्माण मंत्री

कुटीर एवं ग्रामोद्योग

—“—

वन

वन मंत्री

आदिमजाति कल्याण

आदिमजाति कल्याण मंत्री

अनुसूचित जाति कल्याण

—“—

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार
कल्याण मंत्री

खनिज साधन

खनिज साधन मंत्री

30 दिसम्बर, 2020 23 दिसम्बर, 2020

श्रम

—“—

चिकित्सा शिक्षा

चिकित्सा शिक्षा मंत्री

भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास

—“—

ऊर्जा

ऊर्जा मंत्री

नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा

नवीन एवं नवकरणीय
ऊर्जा मंत्री

पर्यावरण

—“—

स्कूल शिक्षा

राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा

आयुष

राज्य मंत्री, आयुष

भोपाल :

दिनांक : 27 नवम्बर, 2020

ए.पी. सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

नोट :-

1. विवरण के स्तम्भ (3) एवं (4) में उल्लिखित दिनांक स्तम्भ (1) में दिये गये विभागों के सम्पूर्ण वर्ग को लागू होगी।
2. प्रश्नों के उत्तर उपयुक्त प्रारूप में ही भेजे।
3. प्रश्नों के उत्तर प्राप्त होने का अंतिम दिनांक स्तम्भ (4) में दर्शाया गया है, नियत दिनांक तक उत्तर अनिवार्यतः भेजे जायें।
4. निर्धारित दिनांक तक जिन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त नहीं होंगे ऐसे प्रश्नों को टीप : “मंत्री महोदय की ओर से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ” के साथ प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित करा दिया जायेगा।
5. प्रश्नों के उत्तर ऑनलाईन ही प्राप्त किये जायेंगे तथा यदि संलग्न परिशिष्ट की अधिकतम पृष्ठ संख्या 3 हैं तो उसकी भी ऑनलाईन स्वच्छ / पठनीय प्रति ही प्रेषित की जाये, किन्तु यदि परिशिष्ट की पृष्ठ संख्या तीन पृष्ठ से अधिक हो तो उसकी पांच प्रतिशाँ सक्षम अधिकारी से अभिप्राणित कराकर उत्तर प्रेषण के दिनांक को ही विधान सभा सचिवालय में ऑफलाईन (हार्ड कापी) भेजी जायें।
6. किसी प्रश्न के संबंध में स्पष्टीकरण / परिवर्तन / पुनर्विचार अथवा अन्य विभागों को हस्तांतरण अपरिहार्य हो तो ऐसे अनुरोध प्रश्न प्राप्ति के 3 दिन के अन्दर भेजे जाने चाहिए। उत्तर भेजने की अंतिम तिथि में ऐसे अनुरोध विचारयोग्य नहीं होंगे।

नोट :-

सभी विभागों को यह भी निर्देशित किया जाता है कि कोविड-19 से संबंधित भारत सरकार एवं मध्यप्रदेश सरकार की गाइड-लाईन को दृष्टिगत रखते हुए मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय में हार्डकॉफी के रूप में प्रेषित किये जाने वाले पुस्तकालय परिशिष्ट के वाहक द्वारा सोशल डिसेंसिंग का पालन करते हुए मास्क एवं ग्लब्स पहनकर ही साहित्य का प्रदाय करें।

प्र-1 अ 11469/2020

भोपाल, दिनांक 28 नवम्बर, 2020

प्रतिलिपि :-

- (1) मान. मुख्यमंत्री,
 - (2) समस्त मंत्री, राज्यमंत्री,
 - (3) मुख्य सचिव,
 - (4) शासन के समस्त प्रमुख सचिव/सचिव
- को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

ए.पी. सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.